वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन की प्रक्रिया

प्रयोक्ता एजेन्सी⇨ नाभिक पदाधिकारी ⇨वन प्रमंडल पदाधिकारी ⇨वन संरक्षक

नाभिक पदाधिकारी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज्य सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय

(Stage I sanction)

Stage-I का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा
नोडल पदाधिकारी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज्य सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय

(Stage II sanction)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव समर्पित करने हेतु मार्गदर्शन

1. वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधान–

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत ''वन भूमि'' की परिभाषा ऐसी सभी भूमि जो सरकारी/राजस्व अभिलेखों (खतियान पार्ट–II) में जंगल/जंगल झाड आदि के रूप में चिन्हित की गयी हैं तथा सरकार द्वारा राजमार्गो/पथ तट, नहर, तटबंध को सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है, वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, के प्रयोजनार्थ वन भूमि होगी यह कि भूमि का स्वामित्व किसी का भी हो। ऐसी भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में विहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जायेगा एवं बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के इस प्रकार की भूमि का गैर वानिकी कार्यो के लिये उपयोग/अपयोजन वर्जित है तथा एक दण्डनीय अपराध होगा।

2. वन भूमि के अपयोजन की स्वीकृति हेतु विहित प्राधिकार एवं उन्हें प्रदत्त शक्ति–

भूमि के गैर वानिकी उपयोग/अपयोजन हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव वन (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार सभी प्रयोक्ता एजेंसी (User agency) को अपने प्रस्ताव को सीधे नाभिक (Nodal) पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना हैं ताकि एत्दनियमानुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

3. अपयोजन स्वीकृति के प्रावधान एवं प्रक्रिया–

3.1 प्राकृतिक भूमि अधिसूचित वन भूमि

3.2 सड़क, नहर तट, तटबंध किनारे की अधिसूचित वन भूमि

3.3 जंगल/जंगल झाड आदि के रूप में खतियान में दर्ज जमीन।

3.4 अधिसूचित वन भूमि जो राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी आश्रयणी संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित है।

3.5 वैसी भूमि जो वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं हैं परन्तु राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में घोषित हैं।

3.6 विहित प्रपत्र भाग–I में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना भरा जायेगा तथा साथ में अपयोजित होने वाले वन भूमि का मानचित्र 1:50 000 स्केल पर Index उक्त पर प्रयोक्ता एजेंसी का हस्ताक्षर, वन भूमि का गणना (Land Calculation) वचनबद्धता प्रामण पत्र वृक्ष पातन गणना सूची पर वन कर्मियों के देख रेख में निर्माण किया गया है, वन भूमि अपयोजन करने का कारण तथा सरकारी आदेश आदि।

3.7 प्रस्ताव भाग–II में संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा वांछित सूचना स्थल का जाँचोपरान्त भरा जायेगा। प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष पातन गणना सूची पर संयुक्त जाँच (Joint Verification Report) प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर स्थल पर वृक्षों का मिलान जाँच कर ही अंकित करेगें। उप वन संरक्षक अपयोजित होने वाली वन भूमि के दुगना अवकृष्ट वन में क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ ही संलग्न करेगें। तत्पश्चात प्रस्ताव भाग–III में वांछित सूचना अंकित/ जाँच हेतु संबंधित वन संरक्षक के पास भेजेगें।

वन संरक्षक प्रस्ताव भाग–III में वांछित सूचना अंकित कर पुनः वापस नाभिक पदाधिकारी (वन संरक्षण) को लौटाया जायेगा।

3.8 नाभिक पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुशंसित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।

3.9 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार प्रस्ताव भाग–IV में आवश्यक अनुशंसा के पश्चात प्रस्ताव को राज्य सरकार को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।

3.10 राज्य सरकार/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार पटना द्वारा उक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रस्ताव भाग–V में वांछित सूचना अंकित करते हुए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित किये जाने वाले प्रस्तावों से संबंधित सामान्य जानकारी।

1. सर्व प्रथम moef.nic.in के वेवसाईट पर प्रस्ताव को ऑन–लाईन समर्पित किया जाना है।
2. प्रपत्र Form-I के सभी कंडिका में अंकित कर एवं Part-II, Part-III, Part-IV एवं Part-V रिक्त प्रपत्र को संलग्न करते हुए प्रस्ताव आठ प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के कार्यालय, पटना में जमा करना होता है।
3. मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय द्वारा वन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रपत्र–II एवं प्रपत्र–III एवं स्थल निरिक्षण करने हेतु भेजी जाती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी अभिलेखों की जाँच की जाती है तथा वृक्षों की गणना सूची, क्षतिपूरक वनीकरण योजना आदि अभिलेख समर्पित किये जाते है।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जिला पदाधिकारी से FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा करना होता है।
5. इसके उपरान्त नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय द्वारा प्रस्ताव पर Stage-I (सैद्धान्तिक स्वीकृति) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाती है।
6. प्रस्ताव पर Stage-I (सैद्धान्तिक) स्वीकृति मिलने के उपरान्त उसमें निहित कंडिका का कंडिकावार अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी को करनी होती है।
7. Stage-I की कंडिका में मुख्यतः NPV, CA एवं PCA (अगर परियोजना निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हो गया है तो) की राशि जमा करनी होती है।
8. इसके अतिरिक्त सभी कंडिका में निहित शत्तों के अनुपालन करने का Undertaking समर्पित करना होता है।
9. प्रस्ताव को Stage-II की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाता है। Stage-II की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना निर्गत कर परियोजना के लिये गैर वानिकी उपयोग की अनुमति दी जाती है।

नोट– NPV- Net Present Value, CA- Campansatry Afforestration, PCA- Penal Campansatry Afforestration

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव समर्पित करने हेतु जाँच–पत्र (चेक लिस्ट)

1. निर्धारित प्रपत्र– सभी स्तम्भों में प्रविष्टियाँ अंकित की जाय और वांछित अभिलेख संलग्न किये जाये। यदि किसी स्तम्भ में प्रविष्ट करना आवश्यक नहीं हो तो इसका भी उल्लेख कर दिया जाय। (यथा, लागू नहीं/शून्य/किसी अन्य क्रमांक में उल्लिखित आदि)

(क) योजना की संक्षिप्त विवरणी जिसमें Project formulation, प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति की संख्या एवं तिथि और स्वीकृति करने वाले प्राधिकार/योजना लागू करने वाली संस्था/वित्तीय संस्थान का उल्लेख

(ख) अपयोजन के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल यथा संम्भव (पैमाइश के साथ)

(ग) पथ की कुल लंबाई (आरम्भिक बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक, कि0मी0 स्थल के नाम के साथ)

(घ) परियोजना हेतु उपयोग किये जाने वाले भूमि का प्रयोजनवार विवरणी purposewise break up of landuse (Forest as well as non-forest land)

2. (क) अपयोजित होने वाली वन भूमि, समीप के वनों का सीमांकन दर्शाते हुये सर्वे ऑफ इंडिया के मूल टोपोशीट पर 1:50,000 माप में नक्शा। (यदि 1:50,000 माप का नक्शा उपलब्ध न हो तो 1"=1mile ;k 1"=4 mile या कोई अन्य उपयुक्त नक्शा)

(ख) अपयोजन होने वाली वन भूमि का स्तम्भ द्वारा अस्थायी सीमांकन।

3. अपयोजित होने वाले क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची का सारांश (प्रजाति–वार एवं घेरा–वार)

नोटः– (क) 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के लिए पूर्ण गणना।

(ख) वृहत क्षेत्र के लिये स्टैण्र्ड सैम्पलिंग विधि द्वारा गणना की जायेगी अधिक प्रजाति के वृक्षों के लिये सैम्पलिंग Stratified Sampling Technique द्वारा की जायेगी।

4. योजना की स्वीकृति के संबंध में सरकार का आदेश (सरकारी योजनाओं के लिये)

5. राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगाये जाने वाले शर्त्तो के अनुपालन के संबंध में प्रयोक्ता प्राधिकार द्वारा समर्पित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

6. लागत लाभ विश्लेषण (Cost benefit analysis) – समतल क्षेत्र में 20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के अपयोजन के मामलों में (सड़क, पारेषण लाईन, सिंचाई परियोजनाएँ, खनन कार्य, रेलवे इत्यादि सहित)।

7. अपयोजित होने वाले वन भूमि का GPS Reading Geo referenced Co-Ordinate Map संलग्न करना अनिवार्य।

8. वनाधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना। रैखिक परियोजनाओं के लिये प्रपत्र–I तथा प्राकृतिक वन के लिये प्रपत्र–II में प्रमाण पत्र देना है। प्रपत्र संलग्न है।

9. यदि अपयोजित होने वाली वन भूमि प्राकृतिक वन में है, तो अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना है, उसकी विवरणी, मानचित्र, DGPS Reading, 1:50 000 स्केल का मानचित्र पर Geo-referencing कर स्थल दर्शाया जाना, जमीन का स्थानान्तरण, दाखिल खारिज एवं वन भूमि के रूप में अधिसूचना निर्गत किया जाना (भारत सरकार के परियोजना में इस शर्त्त से छूट दी गयी है)।

10. संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों की सूची।

11. संलग्न अभिलेखों पर मुहर एवं हस्ताक्षर

(वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति की शक्तियाँ एवं स्वीकृति की प्रक्रिया)

1. वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति की शक्तियाँ–

(क) क्षेत्रीय कार्यालय राँची को–

रैखिक अपयोजन के सभी मामलें–	पूर्ण शक्ति
अन्य मामलें (खनन एवं अतिक्रमण छोड़कर)	5 हेक्टेयर– पूर्ण शक्ति 40 हे० तक अनुशंसा

(ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, मंत्रालय भारत सरकार को

(1) खनन एवं अतिक्रमण के सभी मामलें

(2) 40 हे० से अधिक के मामले

2. राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति–

1. सामान्य जिले के लिये– 1 हेक्टयर तक

यह शक्ति निम्नवत् कार्यों के लिये ही दी गयी है–

(i) स्कूल
(ii) डिस्पेन्सरी/अस्पताल
(iii) विद्युत एवं संचार लाईन
(iv) पीने के पानी की व्यवस्था
(v) जल/वर्षा जल हार्वेस्टिं ढ़ाँचा
(vi) लघु सिंचाई नहरें
(vii) गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत
(viii) कुशलता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
(ix) विद्युत सब–स्टेशन
(x) संचार पोस्ट
(xi) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/बॉर्डर आउटपोस्ट/वाच टावर।

2. उग्रवाद प्रभावित जिले में (15 जिला) 5 हेक्टेयर तक

(अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण,
गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना,
रोहतास, सीतामढ़ी)

कंडिका संख्या 2.1 में अंकित (11) कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों के लिये भी शक्ति प्रदत है–

1. सभी प्रकार के पथ का निर्माण एवं भूमिगत ऑप्टिकल फाइवर के बिल/टेलीफोन लाईन/पीने के पानी कीसप्लाई लाईन।

3. प्रत्येक परियोजना के लिये प्रति हे० अधिकतम 50 वृक्षों के पातन की आवश्यकता की स्थिति में ही इस शक्ति का उपयोग राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।

4. इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी आश्रयणी/सुरक्षित क्षेत्र में नहीं हो सकता है। आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित अपयोजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, कार्यालय में समर्पित होता है। वहाँ से राज्य वन्यप्राणी पर्षद् की अनुशंसा प्राप्त की जाती है तत्पश्चात् केन्द्रीय वन्यप्राणी पर्षद की अनुशंसा प्राप्त कर माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ही वन भूमि अपयोजन का विषय नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतिम रूप से अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित की जाती है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निम्नलिखित मामलों में राज्य वन्यप्राणी पर्षद्, केन्द्रीय वन्यप्राणी पर्षद से स्वीकृति प्राप्त करने की वाध्यता समाप्त कर दी गयी है। इन मामलों में प्रस्ताव सीधे नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय को प्रस्ताव समर्पित किया जाना है।

(i) laying of underground drinking water pipelines up to 4 inch diameter,

(ii) lagying of 11 KV distribution lines for supply of electricity to rural areas,

(iii) laying of telephone or optical fiber for providing communication facilities in rural areas,

(iv) Wells, hand pumps, small water tank etc. for providing drinking water facilities to villagers, who are yet to be relocated from the protected area .

In addition to the above, the Anganwadies, government Schools and government dispensaries which are essential for the inhabitants of people who are nearer to these forest areeas shall continue and the Government may carry out construction activities in the forest area for the said purposes withhout there being any cutting or falling of trees.

6. वनाधिकार अधिनियम, 2006 Ministry of Trabal Affairs द्वारा अधिनियमित है इसके तहत वन भूमि के अपयोजन के मामले में प्रपत्र–II में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है जबकि रैखिक परियोजनाओं के लिये वन भूमि के अपयोजन के लिये प्रपत्र–I में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।

7. रैखिक परियोजनाओं के लिये ग्राम सभा की बैठक कराकर अनुशंसा प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जबकि प्राकृतिक वन भूमि के मामलें में ग्राम सभा की बैठक कराकर बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए अनुशंसा करना अनिवार्य है।

खण्ड–**IV**

प्रपत्र में प्रविष्टि का तरीका

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित किये जाने वाला प्रस्ताव प्रपत्र MoEF के वेव साईट पर उपलब्ध है जिसकी एक प्रति इस साथ संलग्न की जा रही है।

2. संलग्न प्रपत्र के **Form-A** सभी कंडिका को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाना है जो इस प्रकार है–

1. Project Details:

(i) इस कंडिका में प्रस्ताव (परियोजना निर्माण) से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी (सारांश सहित), अपयोजित होने वाली वन भूमि को आकलित करते हुए संलग्न किया जाना है।

(ii) इस कंडिका में अपयोजित होने वाली वन भूमि को चिन्हित करते हुए 1:50 000 स्केल का नक्शा संलग्न किया जाना है।

(iii) इस कंडिका में परियोजना निर्माण से संबंधित लागत का विवरण सारांश सहित संलग्न किया जाना है।

(iv) इस कंडिका में वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य सारांश सहित संलग्न किया जाना है।

(v) इस कंडिका में परियोजना निर्माण से संबंधित लागत लाभ विश्लेषण (Cost benefit analysis) – समतल क्षेत्र में 20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के अपयोजन के मामलों में (सड़क, पारेषण लाईन, सिंचाई परियोजनाएँ, खनन कार्य, रेलवे इत्यादि सहित) में संलग्न किया जाना है।

(vi) इस कंडिका में परियोजना निर्माण होने में कितने लोगों को कार्य मिलने की संभावना है।

2. इस कंडिका में परियोजन से संबंधित प्रयोजन के लिहाज से कितने वन भूमि की आवश्यकता है को संलग्न किया जाना है।

3. इस कंडिका में परियोजना निर्माण होने होने से अगर किसी लोगों को हटाने की आवश्यकता है तो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है अगर नहीं हो नहीं अंकित किया जाना है, अगर हॉ तो पुनर्वास योजना संलग्न किया जाना है।

4. इस कंडिका में परियोजना निर्माण में अगर पर्यावरर्णिक स्वीकृति की आवश्यकता है, तो संबंधित प्राधिकार से इसे प्राप्त कर संलग्न किया जाना है, अगर नहीं हो No अंकित करना है।

5. इस कंडिका में अपयोजित होने वाली भूमि के बदले NPV, CA, PCA एवं Safety Zone के लिये आकलित राशि को देने का बचनबद्धता संलग्न करना होता है (परियोजना के लिये जो लागू हो)।

6. संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों की सूची।

नोट– NPV- Net Present Value, CA- Campansatry Afforestration, PCA- Penal Campansatry Afforestration